169

संख्या–745/XVIII(1)/2011–1/2006

प्रेषक,

सन्तोष बडोनी,
अनु सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बागेश्वर।

राजस्व अनुभाग–1

देहरादूनः दिनांकः 11 जुलाई, 2011

विषयः–जनपद बागेश्वर के तहसील काफलीगैर के आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु अवशेष धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–268/18(1)/2006 दिनांक 01.09.2006 एवं शासनादेश संख्या–584/XVIII(1)/2009–1/2006 दिनांक 20.03.2008 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत कार्य हेतु औचित्यपूर्ण पायी गयी लागत रू0 117.85 लाख के सापेक्ष शासन द्वारा अब तक अवमुक्त कुल धनराशि रू0 100.00 लाख के उपयोग कर लिये जाने के फलस्वरूप अब तक अवमुक्त धनराशि को कम करते हुये चालू वित्तीय वर्ष में अवशेष धनराशि रू0 17.85 लाख (रू0 सत्रह लाख पिचासी हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन व्यय करने की स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. प्रत्येक कार्य पर धनराशि का व्यय सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर किया जायेगा तथा कार्य कार्य की अनुमोदित लागत तक ही रखा जायेगा। आगणन किसी भी दशा में पुनरीक्षित नहीं किये जायेंगे।
2. उक्त धनराशि कोषागार से तत्काल आहरित की जायेगी तथा सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी। कार्य प्रारम्भ से पूर्व सक्षम स्तर का अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाय। स्वीकृत धनराशि का उपभोग प्रत्येक दशा में इसी वित्तीय वर्ष के भीतर सुनिश्चित किया जायेगा। अतिरिक्त धनराशि की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय नहीं किया जायेगा। स्वीकृति सम्बन्धी मूल शासनादेश की सभी शर्तें यथावत रहेंगी।
3. स्वीकृत धनराशि के आहरण से सम्बन्धित बाउचर संख्या एवं दिनांक की सूचना तत्काल शासन तथा महालेखाकार, उत्तराखण्ड को उपलब्ध कराई जायेगी।
4. स्वीकृत धनराशि के आहरण से सम्बन्धित हस्तपुस्तिका में उल्लिखित प्रावधानों में बजट मैनुअल तथा शासन द्वारा मितव्ययता के संबंध में समय–समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
5. धनराशि उन्ही मदों पर व्यय की जाय जिसके लिए स्वीकृत की जा रही है।
6. स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति आख्या प्रत्येक दशा में माह की 07 तारीख तक निर्धारित प्रारूप पर प्रशासन को उपलब्ध करायी जायेगी।
7. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय।
8. अवमुक्त की जा रही धनराशि का पूर्ण व्यय 31.03.2012 से पूर्व सुनिश्चित कर इसका वित्तीय

2–

G.doc

(7)

भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत करें।

9. स्वीकृत धनराशि से कराये जाने वाले निर्माण कार्य की गुणवत्ता का मूल्यांकन तृतीय पक्ष से कराया जायेगा।

2– उक्त व्यय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–06 लेखाशीर्षक 4059–लोक निर्माण कार्य पर पूजीगत परिव्यय–60–अन्यभवन–आयोजनागत–00–051–नर्माण–03–तहसीलों के आवासीय/अनावासीय भवनों का निर्माण–24–वृहत निर्माण कार्यो के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 संख्या–56P/वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–5/2011 XXVII(5)/2011 दिनांक 05 जुलाई, 2011 में प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सन्तोष बडोनी)
अनु सचिव

संख्या–745(1)/XVIII(1)/2011 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, बागेश्वर।
5. अपर सचिव, वित्त बजट अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. अपर सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
8. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. वित्त अनुभाग–5
10. सम्बन्धित कार्यदायी संस्था।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सन्तोष बडोनी)
अनु सचिव।